न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 59/2025

अपीलांट –	***बनाम***	**रेस्पोडेंट्स –**
मोड़सिंह गोदपुत्र मंगलसिंह जाति राजपूत, निवासी भालीखाल, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार धोरीमन्ना 2. मोडसिंह पुत्र सरदारसिंह 3. जयसिंह पुत्र सरदारसिंह 4. आसूसिंह पुत्र चैनसिंह 5. बलवंतसिंह पुत्र चैनसिंह 6. गुमानसिंह पुत्र आदूसिंह उर्फ अमरसिंह 7. हुकमसिंह पुत्र आदूसिंह उर्फ अमरसिंह 8. दरिया पत्नी आदूसिंह उर्फ अमरसिंह 9. बाबूसिंह पुत्र भंवरसिंह 10. मोहनसिंह पुत्र भंवरसिंह 11. प्रतापसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी भालीखाल, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर 12. भवसिंह उर्फ भवानसिंह पुत्र चैनसिंह जाति राजपूत निवासी गोलिया जाब तहसील सांचोर जिला जालोर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 834 दिनांक 26.04.2023 जो तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री धर्मसिंह भाटी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट सं. 2से12 नोटिस तामील बावजूद अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:52:01 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक : 07.01.2026

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत मौजा भालीखाल पटवार हल्का उडास[illegible] तहसील धोरीमन्ना के नामान्तरकरण सं. 834 पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पारित

जिला कलक्टर
बाड़मेर

स्वीकृति आदेश दिनांक 26.04.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा भालीखाल पटवार हल्का उडासर के खसरा संख्या 120, 260, 390 क्रमशः रकबा 9–7124, 14–0992, 3–5450 हेक्टेयर भूमि मंगलसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति राजपूत सा0 देह खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज थी। अपीलांट के पिता मंगलसिंह का देहान्त हो जाने पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 834 दिनांक 26.04.2023 तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 07.11.2025 को यह अपील न्यायालय समक्ष प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील में मयाद पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

4. हमने अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी। अधिवक्ता अपीलांट की ओर से निवेदन किया हैं कि अपीलांट की पैतृक एवं कब्जे काश्त की भूमि मौजा भालीखाल पटवार हल्का उडासर तहसील धोरीमन्ना मे आई हुई है। उक्त भूमि अपीलकर्ता के गोद पिता मंगलसिंह पुत्र चिमनसिंह की पैतृक पुश्तेनी एवं खातेदारी अधिकारों की भूमि अवस्थित है। अपीलांट द्वारा पिछेल करीब 30–40 वर्षो से अपने गोद पिता मंगलसिंह के साथ रहवास कर उनकी सेवा चाकरी करता आ रहा है। तथा उसके पिता मंगलसिंह द्वारा दिनांक 22.09.2022 उपंपजीयक धोरीमन्[illegible] उपस्थित होकर पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या [illegible] 91 क्रमांक संख्या 202203110400005 पर गोदनामा पंजीबद्ध क[illegible]या है। तथा उक्त तथ्यों की उतरदाता संख्या 2 से 12 का पूर्णतया जानकारी होने के उपरांत भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:52:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलांट के पिता की दिनांक 17.12.2022 को देहान्त होने पर उनकी फौतगी के जरिये नामान्तरकरण संख्या 834 दिनांक 26.04.2023 का आदेश पारित किया गया, जो सरासर गलत व विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य हैं।

5. अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रकट किया कि अपीलांट को पूर्व में उक्त नामान्तरकण की कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांट द्वारा दिनांक 03.11.2025 को जब अपने खेत की जमाबंदी लेने के लिए पटवारी के पास गया तो अपीलांट को आलोच्य नामान्तरकरण की जानकारी हुई, तब अपीलांट को अपने हक हकूक संशयप्रद लगे तब अपीलांट ने हल्का पटवारी से जानकारी हुई जिस पर अपीलांट्स ने उक्त नामान्तकरण की नकले मांगी। इस प्रकार जानकारी होने से अन्दर मयाद उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र शामिल कर अपील अन्दर मयाद शुमार करने का भी निवेदन किया है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 833 दिनांक 24.04.2023 निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेंट संख्या 2 व 12 सूचना बावजूद अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुनवाई अमल में लाई गई।

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा भालीखाल पटवार हल्का उडासर के खसरा संख्या 120, 260, 390 क्रमशः रकबा 9–7124, 14–0992, 3–5450 हेक्टेयर भूमि मंगलसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति राजपूत सा0 देह खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज थी। अपीलांट के पिता मंगलसिंह का देहान्त हो जाने पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 834 दिनांक 26.04.2023 तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 07.11.

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:52:01 IST
Reason: SelfAttested

2025 को यह अपील न्यायालय समक्ष प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि उक्त भूमि अपीलकर्ता के गोद पिता मंगलसिंह पुत्र चिमनसिंह की पैतृक पुश्तेनी एवं खातेदारी अधिकारों की भूमि अवस्थित है। अपीलांट द्वारा पिछेल करीब 30–40 वर्षो से अपने गोद पिता मंगलसिंह के साथ रहवास कर उनकी सेवा चाकरी करता आ रहा है। तथा उसके पिता मंगलसिंह द्वारा दिनांक 22.09.2022 उपंपजीयक धोरीमन्ना में स्वयं उपस्थित होकर गोदनामा पंजीबद्ध करवाया है। इस प्रकार प्राकृतिक सिद्धान्तो की अवहेलना कर उतरदाता संख्या 1 द्वारा एकतरफा नामान्तरकरण आदेश पारित किया गया जो प्रारम्भ से ही शून्य होने से निरस्त करने के काबिज है। इस प्रकार अपीलांट की ओर से प्रकट तथ्यों एवं अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांट के गोदपिता मंगलसिंह द्वारा दिनांक 22.09.2022 को उपंपजीयक धोरीमन्ना में स्वयं उपस्थित होकर पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 1 में पृष्ठ संख्या 91 क्रमांक संख्या 202203110400005 पर गोदनामा पंजीबद्ध करवाया है। ऐसे में मृतक के सभी वैध उत्तराधिकारियों की जांच व उनको सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया हैं, जो विधिसम्मत प्रक्रिया द्वारा नहीं किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा समस्त उत्तराधिकारियों की जांच किये बिना ही नामान्तरकरण सं. 834 पर पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.04.2023 विधिसम्मत नहीं होने से बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों [illegible] विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट [illegible] स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा [illegible] पटवार हल्का उडासर के नामान्तरकरण सं. 834 पर पारित आदेश दिनांक 26.04.2023 को अपास्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:52:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार धोरीमन्ना को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि मृतक खातेदार मंगलसिंह के विधिक वारीसान की जांच एवं उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही नियमानुसार करावें।

9. निर्णय आज दिनांक 07.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:52:01 IST
Reason: SelfAttested